कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी कोटा (राज0)

क्रमांक :– वनविभाग / 2020 /   दिनांक :–

श्रीमान प्रधान वन संरक्षक
वन विभाग,
कोटा।

विषय :– भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति कोटा (अनाज) के विस्तार हेतु वन विभाग से अतिरिक्त भूमि आंवटन कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मण्डी यार्ड के दक्षिण दिशा की ओर वर्तमान यार्ड से सटी हुई वन विभाग की भूमि में से 96 हैक्टे0 भूमि वन विभाग से आवंटित होने पर निम्नानुसार उक्त भूमि का उपयोग होगा :–

1. मण्डी समिति द्वारा उक्त भूमि में कुछ भूमि आरक्षित कर वन उपज हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जावेगी। **जिसमें वन उपज को बढ़ावा देने के लिए एक अलग यार्ड बनाया जायेगा।**
2. उक्त भूमि में वर्तमान में बजंड तथा पथरीली है, जिसके कारण उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह मण्डी राजस्थान की सबसे बडी मण्डी है, यहाँ पर बहुत अधिक किसानों की जिन्सों की आवक होने से यह मण्डी छोटी पड रही है और यहाँ पर इसे स्थानान्तरण करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। केवल यह नजदीक की जगह वन विभाग की है। यह पहले बनी मण्डी वन विभाग की जमीन पर ही बनी हुई है।
3. उक्त भूमि के एक छोर के नजदीक से नया बन रहा राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है, जिसके कारण वर्तमान में मण्डी में आने वाले भारी वाहन (ट्रोला, ट्रक एवं ट्रेक्टर) इत्यादि उक्त मार्ग के द्वारा सीधे ही मण्डी प्रांगण में प्रवेश करने से शहर में भारी वाहनों के आने से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। भारी वाहनों आदि के शहर में नहीं आने शहर का वातावरण भी दूषित नहीं होगा और वाहनों का डीजल, पेट्रोल आदि बचत होगी, जिसके कारण कोटा शहर स्मार्ट सिटी बनाये जाने में योगदान प्राप्त होगा।

अतः कृपया उक्त परिस्थितियों के मध्य नजर मण्डी प्रांगण के दक्षिण दिशा में मण्डी की सीमा से सटती हुई वन भूमि को मण्डी समिति कोटा को आवंटित कराने का श्रम करावें।

(एम.एल. जाटव)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा
सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी, कोटा

क्रमांक :– वनविभाग / 2020 /   दिनांक :–

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक महोदय, कृषि विपणन विभाग, कोटा खण्ड कोटा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा
सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी, कोटा